न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/114/2014

रूघनाथ उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व. श्री दूदाराम जाति जाट निवासी ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला–सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. ईशरराम उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व. श्री दूदाराम
2. श्रीमती चुंकीदेवी उम्र 62 वर्ष पत्नी स्व. दीपचंद
3. सांवरमल उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व. दीपचंद
4. किशोर उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व. दीपचंद
5. श्रीमती छोटी देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी स्व. शिवबक्श
6. गजानंद उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. शिवबक्श
7. मन्शाराम उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व. शिवबक्श
8. श्योपाल उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व. शिवबक्श
9. मनोहरलाल उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व. शिवबक्श
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला–सीकर।
10. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ</u>

उपस्थिति–

01. श्री कैलाश सोनी, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री सागरमल धायल, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
03. श्री महेन्द्र स्वामी, वकील अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से

सत्यमेव जयते

–:आदेश:–

दिनांक– 27.01.2020

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "पक्षकारान के पूर्वज दूदाराम पुत्र आशा के समय से तथा उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 98 जिसके नये खसरा सं. 316 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा सं. 317 रकबा 6.54 हेक्टेयर, खसरा सं. 318 रकबा 1.50 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.0700 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 284 रकबा 5.23 हेक्टेयर, खसरा सं. 621 रकबा 1.95 हेक्टेयर संपूर्ण किता 5 कुल रकबा 15.25 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद में अवस्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

आशाराम
↓
दूदाराम
↓
- ईशरराम (अप्रार्थी सं. 1)
- दीपचंद (मृत)
  - चुंकीदेवी
  - सांवरमल
  - किशोर
- रूघनाथ (प्रार्थी)
- शिवबक्श (मृत)
  - छोटी
  - गजानंद
  - मंशाराम
  - श्योपाल
  - मनोहरलाल

Web Copy, Not Official

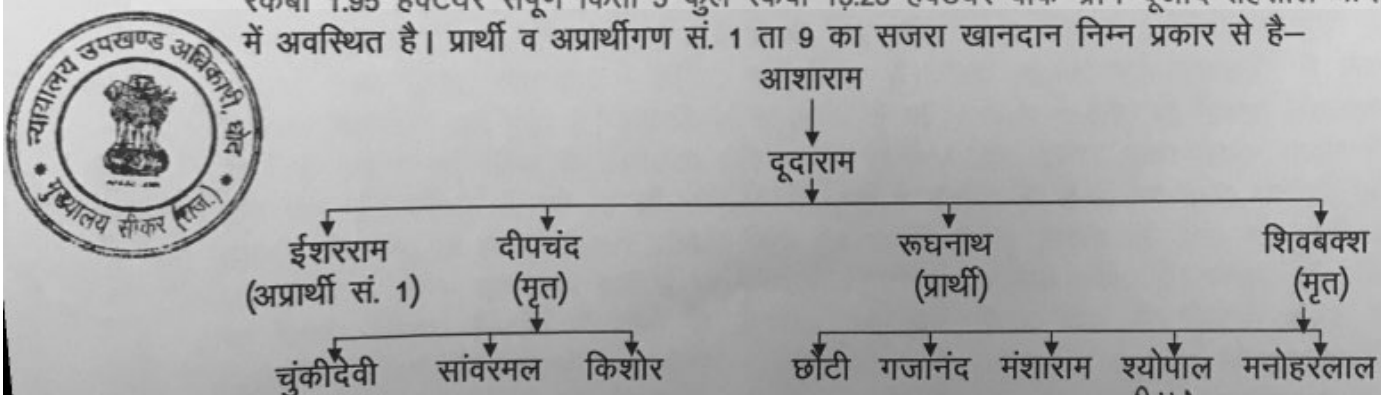

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

JUDIL/CIVIL
PART 1-4

उक्त सजरा खानदान के अनुसार आशाराम के एकमात्र पुत्र दुदाराम हुआ तथा दुदाराम की मृत्यु के उपरांत उनके चार पुत्र क्रमशः ईशरराम, दीपचंद, रूघनाथ व शिवबक्श को उक्त आराजियात में से प्रत्येक को 1/4 हिस्सा जरिये विरासतन प्राप्त होने पर प्रत्येक पुत्र उक्त आराजियात पर काबिज है। पक्षकारान के मध्य विभाजन नहीं हुआ है तथा आपसी सहमति से काश्त कर रहे है। जिनमें से प्रार्थी रूघनाथ व अप्रार्थी सं. 1 ईशरराम मौजूद है तथा दीपचंद व शिवबक्श के फौत होने पर उनके वारिसान पक्षकार संयोजित है। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पति/पिता दीपचंद व अप्रार्थीगण 5 ता 9 के पति/पिता ईश्वराम ने अपने जीवनकाल में ही खसरा सं. 284 में से अपने-अपने हक हिस्से की 1/4 भाग में से 0.55 हेक्टेयर व 0.55 हेक्टेयर कुल 1.10 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28.09.2009 को जरिये पंजीकृत विलेख समोचन कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पति/पिता दीपचंद ने अपने जीवनकाल में ही खसरा सं. 621 में से अपने 1/4 हक व हिस्सा समपूर्ण प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28.09.2009 को जरिये पंजीकृत विलेख समोचन कर दिया था। इस स्थिति के कारण प्रार्थी का नाम खसरा सं. 621 में 1/2 भाग में तथा खसरा सं. 284 में 2.40 हेक्टेयर भूमि पर दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजियात के कुल रकबा 15.25 हेक्टेयर में से प्रार्थी का 5.40 हेक्टेयर (3.8125 हेक्टेयर जरिये विरासत + 1.10 हेक्टेयर जरिये प्रलेख समोचन पत्र द्वारा दीपचंद व ईश्वरराम + 0.4825 हेक्टेयर जरिये प्रलेख समोचन पत्र द्वारा दीपचंद) हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तथा इसी अनुरूप प्रार्थी काबिज है। सभी अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते है। परन्तु खसरा सं. 284 रकबा 5.23 हेक्टेयर भूमि मौके पर रिकॉर्ड से कम है। यानि 4.91 हेक्टेयर ही है। जिसके लिए प्रार्थी अलग से कार्यवाही करने का अपना अधिकार रखता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण खसरा सं. 316 में निर्मिम कुएं से अपने-अपने हक व हिस्से की आराजी को काश्त करते है। अर्सा करीब 15 दिन पूर्व प्रार्थी ने जब आपसी सहमति व स्वीकृति से विभाजन का प्रस्ताव अप्रार्थीगण के सामने रखा तो वे स्पष्टतः ईन्कार हों गये तथा इसके विपरीत प्रार्थी को धमकी देने लगे कि वे खसरा सं. 284 व 621 को बेचान कर देंगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं होगी। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमियां खसरा सं. 284 रकबा 5.23 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा सं. 621 रकबा 1.95 हेक्टेयर में से 0.17 हेक्टेयर में वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद में प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 5 ता 10 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री सागरमल धायल ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थी के आवेदन में अंकित सजरा खानदान अधूरा है। क्योंकि दुदाराम के चार पुत्रियां है, दीपचंद के भी चार पुत्रियां है व शिवबक्श के भी एक पुत्री हैं, जिनको उक्त सजरा खानदान में अंकित नहीं किया है। उक्त आराजियात शामलाती है तथा विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं. 5 ता 6 के पति/पिता ने कोई भी हिस्सा हकत्याग प्रार्थी के पक्ष में नहीं किया है। विवादित भूमि खसरा सं. 284 ग्राम दूजोद मुख्य सड़क सीकर से खूड़ रोड़ में अवस्थित है, जो कि कीमती होने से प्रार्थी ने बदनियती से अकेले उक्त आराजी को हड़पने की मशां से मिथ्या कथन अंकित किये है। जबकि उक्त खसरा सं. 284 पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 9 शामलाती रूप से अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। खसरा सं. 284 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में मौके के विपरीत कम दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में अप्रार्थीगण अलग से कार्यवाही कर रहे है। खसरा सं. 316 में बने कुएं व ट्यूबवेल के उपयोग से सभी खातेदार काश्त कर रहे है। जबकि प्रार्थी ने उक्त कुएं व ट्यूबवेल का उपयोग अकेले

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

...ना बताया है, जो कि सर्वथा गलत है। प्रार्थी करीब 2 साल से विदेश रहता है, जिस कारण बंटवारा से ईन्कार व बेचान की धमकी देने का कथन गलत है। अतः प्रार्थी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। शेष अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र स्वामी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 के जवाब में अंकित तथ्यों के समान ही तथ्यों को उल्लेखित कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

03. बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये कथन किया कि रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा किया जावें तथा बंटवारा के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बाबत टी.आई. जारी की जावें। वकील अप्रार्थीगण ने अपने-अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है-

(A) प्रथम दृष्टया मामला- पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2063-66 के अनुसार खसरा सं. 284 व 621 पृथक-पृथक खाते में दर्ज है तथा दोनों खसरा नम्बर संयुक्त खातेदारी के है, जिनमें प्रार्थी का हिस्सा कमशः 2.40 हेक्टेयर व 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि काश्त करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन बंटवारे के दावे में सहखातेदारों को अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने से रोकना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी का उसके हिस्से की भूमि की काश्त में दखलंदाजी करने के बिंदु तक आंशिक रूप से पृथम दृष्टया मामला प्रमाणित है।

(B) सुविधा का संतुलन- प्रार्थी सहखातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।

(C) अपूरणीय क्षति- प्रार्थी उपर्युक्त दोनों खसरों की भूमि में 2.40 हेक्टेयर व 1/2 हिस्सा का सहखातेदार है। अतः यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि को काश्त करने में दखलंदाजी उत्पन्न करते हैं तो इससे प्रार्थी को क्षति कारित होगी। लेकिन यदि अप्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरों में अपने हिस्से ही भूमि का बेचान करते हैं तो उस बेचान से प्रार्थी को कोई क्षति कारित नहीं होगी। अतः उक्त बिंदु प्रार्थी के हक में आंशिक रूप से प्रमाणित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात खसरा सं. 284 रकबा 5.23 हेक्टेयर व खसरा सं. 621 रकबा 1.95 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद में प्रार्थी के दर्ज हिस्से की भूमि के उपयोग-उपभोग(काश्त करने) में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.02.04 12:18:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: